[2021] 4 एससीआर 376

एमएस आईनॉक्स रिन्यूएबल्स लिमिटेड,

बनाम

जयेश इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,

(सिविल अपील संख्या 1556 2021)

अप्रैल 13, 2021

[आरएफ नरीमन और हृषिकेश रॉय, जे.जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एस.एस. 20(1) और 34 - मध्यस्थता का स्थान/स्थान - का स्थानांतरण - आयोजित: आपसी सहमति से, पक्ष मध्यस्थता के स्थल/स्थान को स्थानांतरित कर सकते हैं - यह नहीं कहा जा सकता है कि परिवर्तन केवल लिखित समझौते से हो सकता है - तथ्यों पर, आपसी सहमति से, पार्टियों ने विशेष रूप से मध्यस्थता के स्थान/स्थान को जयपुर से अहमदाबाद स्थानांतरित कर दिया - यह स्पष्ट है कि पार्टियों ने, आपसी सहमति से, मध्यस्थता के स्थान/सीट के रूप में जयपुर के स्थान पर अहमदाबाद को स्थान देने के लिए एक समझौता किया है। /एस। 20(1) - एक बार जब मध्यस्थता की सीट को आपसी समझौते से अहमदाबाद में बदल दिया जाता है, तो राजस्थान की अदालतों को अब क्षेत्राधिकार नहीं मिलता है क्योंकि मध्यस्थता की सीट में बदलाव को देखते हुए, विशेष क्षेत्राधिकार अब अहमदाबाद की अदालतों में निहित हो जाता है - इस प्रकार, अब पार्टियों को धारा 34 के तहत याचिका के समाधान के लिए अहमदाबाद की अदालतों में भेजा गया है।

कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए

माना: 1.1 पैराग्राफ 12.3 के अनुसार यह स्पष्ट है कि आपसी सहमति से, पार्टियों ने विशेष रूप से मध्यस्थता के स्थल/स्थान को जयपुर से अहमदाबाद स्थानांतरित कर दिया है। ऐसा होने पर, यह दलील कि यह केवल लिखित समझौते द्वारा किया जा सकता था और मध्यस्थ के निष्कर्ष में वास्तव में एक सुविधाजनक स्थान का संदर्भ होगा न कि मध्यस्थता की सीट को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 11]

1.2 यह मामला दिखाएगा कि जिस क्षण सीट को अहमदाबाद के रूप में चुना जाता है, यह एक विशेष क्षेत्राधिकार खंड के समान है, जिससे मध्यस्थता से निपटने के लिए अहमदाबाद की अदालतों को विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। यह स्पष्ट है कि पार्टियों ने

आपसी सहमति से, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 20(1) के तहत मध्यस्थता के स्थान/सीट के रूप में जयपुर के स्थान पर अहमदाबाद के स्थान पर समझौता किया है। [पैरा 13]

1.3 जयपुर से अहमदाबाद स्थानांतरित किया जा रहा स्थान वास्तव में धारा 20(1) के संदर्भ में मध्यस्थता के स्थल/स्थान का स्थानांतरण है, न कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 20(3) के संदर्भ में, जैसा कि यह है यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जयपुर मध्यस्थता की सीट नहीं रहेगी और अहमदाबाद अब पार्टियों द्वारा निर्दिष्ट सीट है, न कि बैठक आयोजित करने का स्थान। मध्यस्थ ने दर्ज किया है कि आपसी सहमति से, जयपुर को एक आयोजन स्थल के रूप में हटा दिया गया है और उसकी जगह अहमदाबाद ने ले ली है। चूंकि खरीद आदेश के खंड 8.5 को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, इस दलील को स्वीकार करना संभव नहीं है कि राजस्थान में न्यायालयों का क्षेत्राधिकार जयपुर में होने वाले स्थान से स्वतंत्र है। दोनों खंडों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि राजस्थान में न्यायालयों को क्षेत्राधिकार केवल इसलिए दिया गया है क्योंकि मध्यस्थता की सीट जयपुर होनी थी। एक बार जब मध्यस्थता की सीट को आपसी समझौते से अहमदाबाद में बदल दिया जाता है, तो राजस्थान के न्यायालयों को अब क्षेत्राधिकार नहीं मिलता है क्योंकि मध्यस्थता की सीट में परिवर्तन को देखते हुए, विशेष क्षेत्राधिकार अब अहमदाबाद के न्यायालयों में निहित हो जाता है। इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय टिक नहीं सकता और रद्द कर दिया जाता है। धारा 34 याचिका के समाधान के लिए पार्टियों को अब अहमदाबाद की अदालतों में भेजा गया है। [पैरा 17 और 18]

> *वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य।* **(2011) 6 एससीसी 161:[2011] 8 एससीआर 569 - प्रतिष्ठित।** *बीएसजी एसजीएस सोमा जेवी बनाम एनएचपीसी लिमिटेड* **(2020) 4 एससीसी 234: [2019] 17 एससीआर 742;** *इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम डेटाविंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड,* **(2017) 7 एससीसी 678: [2017] 4 एससीआर 744;** *भारत एल्युमीनियम कंपनी बनाम कैसर एल्युमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक.* **(2012) 9 एससीसी 552: [2012] 12 एससीआर 327 - संदर्भित।**

केस कानून संदर्भ

[2019] 17 एससीआर 742	पैरा	8 को संदर्भित करता है

[2012] 12 एससीआर 327	पैरा	13 को संदर्भित करता है
[2011] 8 एससीआर 569 ने	पैरा	16 को प्रतिष्ठित किया
[2017] 4 एससीआर 744	पैरा	17 को संदर्भित करता है

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2021 की सिविल अपील संख्या 1556

2019 के आर/विशेष सिविल आवेदन संख्या 9536 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 09.10.2019 से।

सचिन दत्ता, वरिष्ठ वकील, साहिल चोपड़ा, नितिन गुप्ता, आतिफ सुहरावर्दी, अन्वित सीमांश, सैयद मेहदी इमाम, वकील। अपीलकर्ता के लिए.

पूर्विश जितेंद्र मलकान, सुश्री धारिता पूर्वीश मलकान, सुश्री दीपा गोरसिया, जीतेंद्र एम. मलकान, आलोक कुमार, सुश्री नेहा अंबष्ठ, सुश्री नंदिनी छाबड़ा, सलाह प्रतिवादी के लिए.

न्यायालय का फैसला **आरएफ नरीमन, जे.** द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी

2. वर्तमान अपील अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित 9 अक्टूबर, 2019 के आक्षेपित फैसले से उत्पन्न हुई है जिसमें अपीलकर्ता, आईनॉक्स रिन्यूएबल्स लिमिटेड **["अपीलकर्ता"]** द्वारा 2019 का विशेष नागरिक आवेदन संख्या 9536 दायर किया गया था। वाणिज्यिक न्यायालय, अहमदाबाद द्वारा पारित 25 अप्रैल, 2019 के आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि जयपुर, राजस्थान की अदालतें ऐसी अदालतें होंगी जिनमें धारा 34 याचिका दायर की जा सकती है।

3. मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:

पवन फार्मों में बिजली ट्रांसफार्मर के निर्माण और आपूर्ति के लिए मेसर्स गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड **["जीएफएल"]** और यहां प्रतिवादी, जयेश इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड **["प्रतिवादी"]** के बीच 28 जनवरी, 2012 को एक खरीद आदेश दर्ज किया गया था। मध्यस्थता खंड खरीद आदेश के खंड 8.5 में निहित है जो इस प्रकार है: -

"8.5 सभी विवाद और मतभेद, यदि कोई हों, का निपटारा इसके बाद दिए गए तरीके से मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा।

मध्यस्थता तीन मध्यस्थों द्वारा संचालित की जाएगी; एक को आपके और मालिक द्वारा नामांकित किया जाएगा और तीसरे को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार दोनों [मध्यस्थों] द्वारा अंपायर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यदि कोई भी पक्ष प्राप्त होने के बाद साठ दिनों के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहता है। मध्यस्थता खंड को लागू करने वाले दूसरे पक्ष से नोटिस, मध्यस्थता खंड को लागू करने वाले पक्ष द्वारा नियुक्त मध्यस्थ मध्यस्थता का संचालन करने वाला एकमात्र मध्यस्थ बन जाएगा।

मध्यस्थता का स्थान जयपुर होगा।

अधिकांश मध्यस्थों के निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे। मध्यस्थ समय-समय पर सभी पक्षों की सहमति से: निर्णय देने के लिए समय बढ़ा सकते हैं। किसी भी मध्यस्थ के मरने, उपेक्षा करने, इस्तीफा देने या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में, संबंधित पक्ष के लिए निवर्तमान मध्यस्थ के स्थान पर किसी अन्य मध्यस्थ को नामित करना कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा।

मध्यस्थ के पास समझौते के अनुसार किसी भी निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाणन या मूल्यांकन की समीक्षा और/या संशोधित करने की पूरी शक्तियां होंगी और कोई भी पक्ष ऐसी मध्यस्थता से पहले की कार्यवाही में उक्त प्राप्त करने के उद्देश्य से साक्ष्य या तर्क तक सीमित नहीं होगा।

विवादों के निपटारे और मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान, दोनों पक्ष समझौते के तहत अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य होंगे।

मध्यस्थों का निर्णय किसी भी पक्ष को स्वीकार्य नहीं होने की स्थिति में, पक्ष भारत के कानून के तहत वैध उपाय खोजने के लिए स्वतंत्र होंगे और इसके लिए क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य की अदालतें होंगी।"

4. जीएफएल के पूरे कारोबार की धीमी बिक्री अपीलकर्ता के पक्ष में हुई। यह अपीलकर्ता और जीएफएल के बीच 30 मार्च, 2012 को निष्पादित एक व्यापार हस्तांतरण समझौते के माध्यम से हुआ, जिसमें प्रतिवादी एक पक्ष नहीं था। इस व्यापार हस्तांतरण समझौते के खंड 9.11 और 9.12 में वडोदरा को पार्टियों के बीच मध्यस्थता की सीट के रूप में नामित किया गया है, जिससे समझौते से उत्पन्न होने वाले विवादों के लिए वडोदरा की अदालतों को विशेष क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है।

5. खरीद आदेश के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत 5 सितंबर, 2014 को प्रतिवादी द्वारा दायर एक आवेदन पर, अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया: -

> "पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया कि मामले को एकमात्र मध्यस्थ की मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए। मैं श्री सीके बुच (इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश) से अनुरोध करता हूं कि वे दिनांक 28.01.2012 के अनुबंध के कारण उत्पन्न होने वाले पक्षों के बीच विवादों को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करें।

6. इसके अनुसरण में, विद्वान मध्यस्थ ने 28 जुलाई, 2018 को एक पुरस्कार पारित किया जिसमें प्रतिवादी को रुपये की राशि के रूप में सम्मानित किया गया। 38,97,150/- प्लस रु. पुरस्कार राशि पर 10 मार्च, 2017 से पुरस्कार की तारीख तक ब्याज के रूप में 31,32,650 रुपये और साथ ही रु. मात्रात्मक लागत के रूप में 2,81,000/-। पुरस्कार की तारीख से भुगतान की तारीख तक भविष्य में ब्याज 15% दिया गया। अहमदाबाद में अपीलकर्ता द्वारा एक धारा 34 याचिका दायर की गई थी, जिसका प्रतिवादी ने व्यापार हस्तांतरण समझौते का हवाला देते हुए और यह कहते हुए विरोध किया था कि अकेले वडोदरा की अदालतों के पास अधिकार क्षेत्र है। अहमदाबाद के वाणिज्यिक न्यायालय ने 25 अप्रैल, 2019 के फैसले और आदेश के तहत व्यापार हस्तांतरण समझौते के खंड 9.11 और 9.12 का हवाला देकर प्रतिवादी के मामले को स्वीकार कर लिया और कहा कि अकेले वडोदरा की अदालतों के पास विशेष क्षेत्राधिकार होगा, अहमदाबाद की अदालतों के पास नहीं। इस तरह के अधिकार क्षेत्र के साथ निहित होना।

7. अपीलकर्ता ने उपरोक्त आदेश के विरुद्ध विशेष सिविल आवेदन संख्या 9536 दिनांक 2019 दायर किया। उच्च न्यायालय ने खरीद आदेश में निहित मध्यस्थता खंड के साथ-साथ राजस्थान की अदालतों के लिए "विशेष क्षेत्राधिकार खंड" का भी उल्लेख किया और फिर माना कि यह मानते हुए भी कि यदि खंड के अनुसार चलना है तो अहमदाबाद का क्षेत्राधिकार होगा । खरीद आदेश के 8.5, विशेष क्षेत्राधिकार राजस्थान की अदालतों में निहित है, उपयुक्त अदालत जयपुर की अदालत होगी। हालाँकि, इस निष्कर्ष के बावजूद, उसे अहमदाबाद कोर्ट के 25 अप्रैल, 2019 के फैसले में कोई त्रुटि नहीं मिली और विशेष नागरिक आवेदन को खारिज कर दिया गया।

8. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सचिन दत्ता ने हमारा ध्यान खरीद आदेश की ओर आकर्षित किया और तर्क दिया कि व्यवसाय हस्तांतरण समझौता

अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच नहीं होने के कारण वर्तमान मामले में अप्रासंगिक था क्योंकि इसे सही ढंग से रखा गया था। आक्षेपित निर्णय. हालाँकि, आक्षेपित निर्णय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि मध्यस्थ ने मध्यस्थ पुरस्कार में दर्ज किया था कि मध्यस्थता का स्थान/स्थान आपसी सहमति से अहमदाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप, मध्यस्थता का स्थान या मध्यस्थता की सीट अहमदाबाद बन गई, जिसके परिणामस्वरूप अहमदाबाद की अदालतों में विशेष क्षेत्राधिकार है और **बीएसजी एसजीएस सोमा जेवी बनाम एनएचपीसी लिमिटेड, (2020) 4 एससीसी 234 ["बीजीएस एसजीएस"]** के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया।

9. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री पुरविश जीतेन्द्र मलकान ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क दिया। उन्होंने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, (2011) 6 एससीसी 161 **["वीडियोकॉन"] और इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम डेटाविंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, (2017) 7 एससीसी 678 [" इंडस मोबाइल"]** इस प्रस्ताव के लिए कि भले ही मध्यस्थता का स्थान आपसी समझौते से स्थानांतरित हो जाए, लेकिन पार्टियों के बीच लिखित समझौते के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में, उन्होंने तर्क दिया कि राजस्थान में अदालतों के साथ विशेष क्षेत्राधिकार का निहित होना, मध्यस्थता खंड से स्वतंत्र होने के नाते यह कहते हुए कि मध्यस्थता जयपुर में होनी है, यह संकेत देगा कि अकेले राजस्थान की अदालतों के पास विशेष क्षेत्राधिकार होगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मध्यस्थ का यह निष्कर्ष कि स्थल आपसी सहमति से जयपुर से अहमदाबाद स्थानांतरित किया गया था, केवल मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 20 (3) का संदर्भ है क्योंकि अहमदाबाद वास्तव में मध्यस्थता के लिए एक सुविधाजनक स्थान था, मध्यस्थता की सीट हमेशा जयपुर में रहती है।

10. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, सबसे पहले यह निर्धारित करना आवश्यक है कि विद्वान मध्यस्थ ने मध्यस्थता के स्थान/स्थान के संबंध में फैसले में क्या कहा है। पैरा 12.3 में, विद्वान मध्यस्थ इस प्रकार कहता है:-

> "12.3 पक्षों के बीच न्यायाधिकरण के गठन को लेकर कोई विवाद नहीं है और सभी पक्ष अपने विवाद को एकमात्र मध्यस्थ द्वारा हल करने के लिए सहमत हुए हैं। मध्यस्थता समझौते के अनुसार, मध्यस्थता का स्थान जयपुर होना था। हालाँकि, पार्टियों ने परस्पर सहमति व्यक्त की है, किसी विशिष्ट खंड के बावजूद कि [स्थान, कि मध्यस्थता का स्थान] अहमदाबाद में होगा, जयपुर में नहीं। इस प्रकार, गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय के विद्वान नामांकित न्यायाधीश द्वारा ट्रिब्यूनल के गठन पर अहमदाबाद में कार्यवाही आयोजित की गई है।

11. इसलिए, इस पैराग्राफ के अनुसार, जो स्पष्ट है वह यह है कि आपसी समझौते से, पार्टियों ने विशेष रूप से मध्यस्थता के स्थल/स्थान को जयपुर से अहमदाबाद में स्थानांतरित कर दिया है। ऐसा होने पर, क्या प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि यह केवल लिखित समझौते द्वारा किया जा सकता था और मध्यस्थ के निष्कर्ष में वास्तव में एक सुविधाजनक स्थान का संदर्भ होगा, न कि मध्यस्थता की सीट का।

12. **बीजीएस एसजीएस** (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने, पूरे मामले के कानून की विस्तृत समीक्षा के बाद, इस प्रकार निष्कर्ष निकाला:

> “32. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि मध्यस्थ कार्यवाही की "न्यायिक सीट" की नई अवधारणा को देखते हुए, और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 द्वारा इस "सीट" को दिए गए महत्व को देखते हुए, मध्यस्थ पुरस्कार अब न केवल इसकी तारीख बताने के लिए है, बल्कि मध्यस्थता का स्थान धारा 20 के अनुसार निर्धारित किया गया है। हालाँकि, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 2(1)(सी) में निहित "न्यायालय" की परिभाषा, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 में भी जारी रही, हालाँकि इसे सीमित कर दिया गया है। इसका तात्पर्य केवल प्रधान सिविल न्यायालय और उच्च न्यायालय से है जो अपने मूल सामान्य नागरिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार, मध्यस्थ कार्यवाही की न्यायिक सीट की अवधारणा और अदालतों के अधिकार क्षेत्र के साथ इसका संबंध, जो तब मध्यस्थ कार्यवाही से संबंधित मामलों को देखना है - जिसमें मध्यस्थ पुरस्कारों की चुनौतियां भी शामिल हैं - अस्पष्ट थी, और इसे अंतरराष्ट्रीय के अनुसार विकसित किया जाना था इस न्यायालय द्वारा मामले दर मामले के आधार पर अभ्यास किया जाता है।
>
> xxx xxx xxx
>
> 48. "न्यायालय" की परिभाषा में किया गया उपरोक्त संशोधन भी सही दिशा दिखाने वाला एक कदम है, अर्थात्, भारत में आयोजित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में, उच्च न्यायालय को अकेले ऐसी कार्यवाहियों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना है, भले ही कोई भाग न हो कार्रवाई का कारण ऐसे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हो सकता है, ऐसे उच्च न्यायालय के पास सामान्य मूल क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसे मामलों में, "स्थान" जहां पुरस्कार अकेले दिया जाता है, को देखा जाता है, और उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के डिक्री से अपील सुनने के अपने अधिकार क्षेत्र के आधार पर मध्यस्थता कार्यवाही की निगरानी करने का अधिकार क्षेत्र दिया जाता है,

जो कि केवल है क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के आधार पर जो बदले में उस "स्थान" से संबंधित होता है जहां पुरस्कार दिया जाता है। कानून में इस महत्वपूर्ण बदलाव के आलोक में, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2(1)(ई)(i) को भी इस निर्णय में बताए गए तरीके से समझा जाना चाहिए।

49. दिए गए उदाहरण के तथ्यों के आलोक में विपरीत निष्कर्ष का परिणाम इस प्रकार लें। पार्टियों के बीच मध्यस्थता खंड में नई दिल्ली को विशेष रूप से मध्यस्थता की सीट के रूप में नामित किया गया है। हालाँकि, कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा कई स्थानों पर उठता है, जिसमें वह जगह भी शामिल है जहां अनुबंध को आंशिक रूप से निष्पादित किया जाना है, उदाहरण के लिए, उत्तराखंड के एक दूरदराज के हिस्से में। यदि समवर्ती क्षेत्राधिकार दिन का क्रम होता, तो सीट स्थित होने और पार्टियों द्वारा विशेष रूप से चुने जाने के बावजूद, पार्टी की स्वायत्तता प्रभावित होती, जिसे बाल्को विशेष रूप से बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रकार, यदि कोई आवेदन उत्तराखंड की पहाड़ियों के किसी सुदूर कोने में स्थित जिला न्यायालय में किया जाता है, जो तब मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 42 के प्रयोजनों के लिए अदालत बन जाता है, जहां धारा 34 के लिए भी आवेदन करना पड़ता है, परिणाम पार्टियों के घोषित इरादे के विपरीत होगा - भले ही पार्टियों ने विचार किया है कि एक तटस्थ स्थान को सीट के रूप में चुना जाएगा ताकि अकेले उस स्थान की अदालतों को क्षेत्राधिकार हो, फिर भी, पांच अन्य अदालतों में से कोई एक जिसमें एक कार्रवाई के कारणों का एक हिस्सा, जिसमें देश के दूरदराज के कोनों की अदालतें भी शामिल हैं, को भी अधिकार क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। जाहिर तौर पर ऐसा नहीं हो सकता. इसलिए, यदि पैरा 96 में बाल्को के फैसले के विरोधाभासी हिस्से को एक पल के लिए अलग रखा जाए, तो यह तथ्य कि पार्टियों ने सीट के लिए एक जगह चुनी है, अनिवार्य रूप से दोनों पक्षों के फैसले को अपने साथ ले जाएगी कि अदालतें संपूर्ण मध्यस्थता प्रक्रिया पर सीट का विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र होगा।

xxx xxx xxx

53. *इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन (पी) लिमिटेड* में, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20 के अर्थ पर स्थिति स्पष्ट करने के बाद, न्यायालय ने पैरा 19 (जो पहले ही यहां ऊपर निर्धारित किया गया है) में यह स्पष्ट कर दिया कि जिस क्षण ए सीट पार्टियों के बीच समझौते द्वारा निर्दिष्ट की जाती है, यह एक विशेष क्षेत्राधिकार खंड के समान है, जो पार्टियों के बीच समझौते से उत्पन्न होने वाली मध्यस्थ कार्यवाही को

विनियमित करने के प्रयोजनों के लिए विशेष क्षेत्राधिकार के साथ अदालतों को "सीट" पर निहित करेगा।

xxx xxx xxx

82. उपरोक्त निर्णयों के एक पहलू पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब भी मध्यस्थता खंड में मध्यस्थता की कार्यवाही के "स्थान" के रूप में मध्यस्थता के स्थान का पदनाम होता है, तो अभिव्यक्ति "मध्यस्थता कार्यवाही" यह स्पष्ट कर देगी कि "स्थान" वास्तव में मध्यस्थ कार्यवाही की "सीट" है, क्योंकि उपरोक्त अभिव्यक्ति में केवल एक या अधिक व्यक्तिगत या विशेष सुनवाई शामिल नहीं है, बल्कि संपूर्ण मध्यस्थता कार्यवाही शामिल है, जिसमें उस स्थान पर एक पुरस्कार देना भी शामिल है। इस भाषा की तुलना उस भाषा से की जानी चाहिए जैसे कि "न्यायाधिकरणों को गवाहों, विशेषज्ञों या पार्टियों की बैठक करनी होती है या उनकी उपस्थिति होती है" जहां "स्थल" पर केवल सुनवाई होती है, जिससे निष्कर्ष निकल सकता है, अन्य चीजें समान होती हैं, इस प्रकार बताया गया स्थान मध्यस्थ कार्यवाही की "सीट" नहीं है, बल्कि बैठक का एक सुविधाजनक स्थान है। इसके अलावा, तथ्य यह है कि मध्यस्थता की कार्यवाही एक विशेष स्थान पर "आयोजित की जाएगी" यह भी संकेत देगी कि पार्टियों का इरादा मध्यस्थता की कार्यवाही को एक विशेष स्थान पर शुरू करने का है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह स्थान मध्यस्थता की कार्यवाही की सीट है। यह, कोई अन्य महत्वपूर्ण विपरीत संकेत नहीं होने के कारण कि कथित स्थल केवल एक "स्थल" है और मध्यस्थ कार्यवाही की "सीट" नहीं है, तो यह निर्णायक रूप से दिखाएगा कि ऐसा खंड मध्यस्थ कार्यवाही की "सीट" निर्दिष्ट करता है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, यदि नियमों का एक सुपरनैशनल निकाय मध्यस्थता को नियंत्रित करने के लिए है, तो यह एक संकेत होगा कि "स्थल", जैसा कि कहा गया है, मध्यस्थता कार्यवाही की सीट होगी। राष्ट्रीय संदर्भ में, इसे "घोषित स्थल" पर लागू होने के रूप में मध्यस्थता अधिनियम, 1996 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो तब मध्यस्थता के प्रयोजनों के लिए "सीट" बन जाता है।

xxx xxx xxx _

98. हालाँकि, तथ्य यह है कि हमारे समक्ष सभी तीन अपीलों में कार्यवाही अंततः नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, और पुरस्कारों पर हस्ताक्षर नई दिल्ली में किए गए थे, न कि फ़रीदाबाद में, इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि दोनों पक्षों ने नई दिल्ली को चुना है मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 20(1) के तहत मध्यस्थता की "सीट"।

यह मामला होने के कारण, दोनों पक्षों ने चुना है कि अकेले नई दिल्ली की अदालतों के पास मध्यस्थता कार्यवाही पर विशेष क्षेत्राधिकार होगा। इसलिए, यह तथ्य कि कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा फ़रीदाबाद में उत्पन्न हुआ होगा, एक बार "सीट" चुने जाने के बाद प्रासंगिक नहीं होगा, जो तब एक विशेष क्षेत्राधिकार खंड के समान होगा जहां तक "सीट" के न्यायालयों का संबंध है।"

13. यह मामला दिखाएगा कि जिस क्षण सीट को अहमदाबाद के रूप में चुना जाता है, यह एक विशेष क्षेत्राधिकार खंड के समान है, जिससे अहमदाबाद की अदालतों को मध्यस्थता से निपटने के लिए विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। हालाँकि, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 49 और 71 का उल्लेख किया और उन पर भरोसा किया। पैराग्राफ 49 केवल समवर्ती क्षेत्राधिकार के पहलू से संबंधित है जैसा कि **भारत एल्युमीनियम कंपनी बनाम कैसर एल्युमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक, (2012) 9 एससीसी 552 ["बाल्को"]** में निपटाया गया है, जो वर्तमान मामले के तथ्यों पर आधारित नहीं है। अनुच्छेद 71 भी उतना ही अप्रासंगिक है, इसमें यह स्पष्ट है कि पार्टियों ने आपसी सहमति से, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 20(1) के तहत मध्यस्थता के स्थान/सीट के रूप में जयपुर के स्थान पर अहमदाबाद के स्थान पर समझौता किया है

14. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने इस प्रस्ताव के लिए वीडियोकॉन (सुप्रा) पर बहुत अधिक भरोसा किया कि सीट में कोई भी बदलाव केवल पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित समझौते से ही हो सकता है। वीडियोकॉन (सुप्रा) के फैसले पर करीबी नजर डालने से पता चलता है कि इसमें अनुच्छेद 34.12 था जो "मध्यस्थता समझौते के स्थान और कानून" से संबंधित था और अनुच्छेद 35.2 जो "संशोधन" से संबंधित था, इस प्रकार है:

"34.12. *मध्यस्थता समझौते का स्थान और कानून.* - इस अनुच्छेद के अनुसार एकमात्र विशेषज्ञ, सुलह या मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान, जब तक कि पक्ष अन्यथा सहमत न हों, कुआलालंपुर, मलेशिया होगा, और अंग्रेजी भाषा में आयोजित किया जाएगा। जहां तक संभव हो, पार्टियां मध्यस्थ कार्यवाही शुरू होने और किसी लंबित दावे या विवाद के बावजूद इस अनुबंध की शर्तों को लागू करना जारी रखेंगी। अनुच्छेद 33.1 के प्रावधानों के बावजूद, इस अनुच्छेद 34 में निहित मध्यस्थता समझौता इंग्लैंड के कानूनों द्वारा शासित होगा।

35.2 *संशोधन.* - इस अनुबंध को सभी पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित दस्तावेज के अलावा किसी भी संबंध में संशोधित, संशोधित, विविध या पूरक नहीं किया जाएगा, जिसमें वह तारीख बताई जाएगी जिस दिन संशोधन या संशोधन प्रभावी होगा।

15. उपरोक्त को देखते हुए, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला:-

"20. हम पहले इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि क्या कुआलालंपुर मध्यस्थता की निर्दिष्ट सीट या न्यायिक सीट थी और उसे लंदन में स्थानांतरित कर दिया गया था। 5 पक्षों द्वारा किए गए पीएससी के खंड 34.12 के संदर्भ में, मध्यस्थता की सीट कुआलालंपुर, मलेशिया थी। हालाँकि, महामारी SARS के प्रकोप के कारण, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने अपनी बैठकें पहले एम्स्टर्डम और फिर लंदन में आयोजित करने का निर्णय लिया और पार्टियों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। लंदन में 14-10-2003 और 15-10-2003 को आयोजित कार्यवाही में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने मध्यस्थता की न्यायिक सीट को लंदन में स्थानांतरित करने के लिए पार्टियों की सहमति दर्ज की। क्या यह मध्यस्थता की भौतिक या न्यायिक सीट को कुआलालंपुर से लंदन स्थानांतरित करने जैसा है? इसका निर्णय पीएससी की प्रासंगिक धाराओं के समग्र विचार पर निर्भर करेगा।

21. हालाँकि, यह दोहराव वाला प्रतीत हो सकता है, हम यह उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं कि समझौते की शर्तों के अनुसार, मध्यस्थता की सीट कुआलालंपुर थी। यदि पार्टियाँ अनुच्छेद 34.12 में संशोधन करना चाहती थीं, तो वे ऐसा केवल एक लिखित दस्तावेज़ द्वारा ही कर सकती थीं, जिस पर उन सभी द्वारा हस्ताक्षर करना आवश्यक था। माना जाता है कि न तो पीएससी के पक्षों के बीच मध्यस्थता की न्यायिक सीट को कुआलालंपुर से लंदन स्थानांतरित करने के लिए कोई समझौता हुआ था और न ही अनुच्छेद 34.12 में संशोधन के लिए उनके द्वारा किसी लिखित दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए, केवल तथ्य यह है कि विशेष मध्यस्थता के पक्ष मध्यस्थता की सीट को लंदन में स्थानांतरित करने के लिए सहमत हुए थे, इसे भौतिक चांस के अलावा किसी भी चीज़ के रूप में व्याख्या नहीं किया जा सकता है।

16. उपरोक्त निर्णय का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई लागू नहीं होगा क्योंकि खंड 35.2 के समान कुछ भी नहीं है, जो कि संशोधन खंड है जिसे वीडियोकॉन (सुप्रा) में तथ्यों पर लागू किया गया था। ऐसा होने पर, पार्टियां पारस्परिक रूप से मध्यस्थता की सीट पर पहुंच सकती हैं और आपसी सहमति से मध्यस्थता की सीट को बदल सकती हैं, जिसे मध्यस्थ द्वारा अपने फैसले में दर्ज किया जाता है, जिसे किसी भी पक्ष द्वारा कोई चुनौती नहीं दी जाती है।

17. प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा **इंडस मोबाइल** (सुप्रा) और विशेष रूप से उसके पैराग्राफ 18 और 19 पर की गई निर्भरता भी अपीलकर्ता के मामले का समर्थन करेगी, क्योंकि

"स्थल" को जयपुर से अहमदाबाद स्थानांतरित किया जाना वास्तव में एक बदलाव है धारा 20(1) के संदर्भ में मध्यस्थता के स्थान/स्थान का, न कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 20(3) के संदर्भ में, क्योंकि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जयपुर सीट नहीं बनी रहेगी मध्यस्थता और अहमदाबाद अब पार्टियों द्वारा निर्दिष्ट सीट है, न कि बैठक आयोजित करने का स्थान। विद्वान मध्यस्थ ने दर्ज किया है कि आपसी समझौते से, जयपुर को "स्थल" के रूप में हटा दिया गया है और उसकी जगह अहमदाबाद ने ले ली है। चूंकि खरीद आदेश के खंड 8.5 को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, श्री मलकन की इस दलील को स्वीकार करना संभव नहीं है कि राजस्थान में न्यायालयों का क्षेत्राधिकार जयपुर में होने वाले स्थान से स्वतंत्र है। दोनों खंडों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि राजस्थान में न्यायालयों को क्षेत्राधिकार केवल इसलिए दिया गया है क्योंकि मध्यस्थता की सीट जयपुर होनी थी। एक बार जब मध्यस्थता की सीट को आपसी समझौते से अहमदाबाद में बदल दिया जाता है, तो राजस्थान के न्यायालयों को अब क्षेत्राधिकार नहीं मिल जाता है क्योंकि मध्यस्थता की सीट में बदलाव को देखते हुए, विशेष क्षेत्राधिकार अब अहमदाबाद के न्यायालयों में निहित हो जाता है।

18. इन सभी कारणों से, यह स्पष्ट है कि आक्षेपित निर्णय कायम नहीं रह सकता और खारिज किया जाता है। धारा 34 याचिका के समाधान के लिए पार्टियों को अब अहमदाबाद की अदालतों में भेजा गया है।

19. दिनांक 12.12.2019 के आदेश के तहत, इस न्यायालय ने 2019 की निष्पादन याचिका संख्या 117 में निष्पादन कार्यवाही पर इस शर्त पर रोक लगा दी कि अपीलकर्ता इस न्यायालय में 40,00,000/- रुपये की राशि जमा करेगा, बी जो कि जमा की गई है . यह जमा राशि अब अहमदाबाद में उचित फोरम में स्थानांतरित कर दी जाएगी जिसके द्वारा धारा 34 याचिका पर फैसला किया जाएगा। धारा 34 याचिका के निपटारे तक निष्पादन की कार्यवाही तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि अहमदाबाद में उपयुक्त मंच इस अंतरिम आदेश को बदल न दे।

20. उपरोक्त शर्तों के अनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

21. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तदनुसार निपटाया जाएगा।

निधि जैन अपील निस्तारित

आशीष तिवारी की देखरेख में आशा शुक्ला द्वारा अनुवादित।